

सं. 2 मिजोरम/2016 बी पी-3

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 4 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

सचिव,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग,

मिजोरम सरकार,

आइजोल, मिजोरम

विषय: त्रिपुरा से प्रत्यावर्तित ब्रू प्रवासियों के लिए लागू आर्थिक लागत पर मिजोरम को 2 वर्ष के लिए 12286.338 टन चावल के अतिरिक्त आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर मिजोरम सरकार, गृह विभाग के पत्र सांविधिक न्यूनतम मूल्य जे-15011/5/2013-एच एम दिनांक 16 जुलाई 2018 और गृह मंत्रालय (एन.ई 3 प्रभाग) के आई. डी. नोट सं. 7/32/97-एनई.॥ खंड -XV दिनांक 16 जुलाई, 2018 का हवाला देने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि त्रिपुरा से प्रत्यावर्तित ब्रू प्रवासियों के लिए आर्थिक लागत पर मिजोरम को दो वर्ष के लिए 12286.338 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन करने का निर्णय लिया गया है।

2. लागत जमा करने और उपर्युक्त अतिरिक्त आवंटन के उठान की वैधता अवधि सितंबर, 2020 तक होगी। मिजोरम सरकार द्वारा आवंटन का उठान निर्धारित वैधता अवधि के दौरान सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,



(असित हालदर)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि

1. उप सचिव, (एनई.॥॥), गृह मंत्रालय, उत्तरी ब्लॉक, नई दिल्ली को आईडी सं. 7/32/97-एनई-॥ खंड-XV दिनांक 16 जुलाई, 2018 के संदर्भ में।
2. संयुक्त सचिव, गृह विभाग, मिजोरम सरकार, शासन सचिवालय को पत्र सं. जे-15011/5/2030-एचएम दिनांक 16 जुलाई, 2018 के संदर्भ में।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
4. महाप्रबंधक (बिक्री) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
5. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय (उत्तर पूर्व) गुवहाटी।
6. निवासीय आयुक्त, त्रिपुरा सरकार, नई दिल्ली।
7. निदेशक (पीडी)/ निदेशक (नीति)/ निदेशक (संचलन)/ उप सचिव (वित्तीय)।
8. बीपी-॥/पीडी-॥/पीडी-॥/नीति-॥/संचलन-॥ विभाग।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से अनुरोध है कि इस आवंटन पत्र को विभाग की बेवासइट पत्र अपलोड करे।
10. हिंदी अनुभाग से अनुरोध है कि इस पत्र का हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराएं।
11. आवंटन फाइल/गार्ड फाइल।